न्यायालय जिला कलक्टर, अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस.

अपील सं. 134 / 2023
जी.सी.एम.एस. नं.: 2023 / 508

1. निहालचन्द पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी चक 8 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ

— अपलार्थी

बनाम

1. मेहर सिंह पुत्र भगत सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 8 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
2. स्टेट ऑफ राज. जरिए तहसीलदार(भू.अ.) श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—

1. **श्री तिलकराज चुघ, अधिवक्ता अपीलार्थी**
2. **श्री राजेन्द्र सिंह,अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1**

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 21.11.2023

संक्षेप में अपील प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. अपीलार्थी निहालचन्द पुत्र रामस्वरूप के द्वारा तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 05.10.2023 जिसके द्वारा चक 8 जीबी के प.नं. 127 / 388 मु.नं. 13 कि.नं. 16 की तरमीम दुरूस्ती के आदेश पारित किये गये हैं से व्यथित होकर यह अपील मय प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की गयी। प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी का स्वीकार कर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को तलब किया गया। अधिनस्थ कार्यालय से अपीलधीन आदेश संबंधित मूल रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेंट सं. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए।
2. अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर निवेदन करते हुए मूल अपील प्रकरण के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध रेस्पोंडेंट पारित कर विवादित भूमि पर रिकार्ड एवं नक्शा की पूर्व स्थिति यथावत बनाए रखने के आदेश देने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा एतराज व्यक्त करने हेतु स्थगन आदेश संबंधि कोई आधार नहीं होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त करने के लिए निवेदन किया। इस पर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी की मंशा प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब कारित करने की होने का कथन करते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र के स्थान पर सीधे मूल अपील की बहस किये जाने का निवेदन किया। इस पर अधिवक्ता अपीलार्थी एवं अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 की अपील पर बहस सुनी गयी।
3. अधिवक्ता अपीलार्थी अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. [illegible] द्वारा तहसीलदार श्रीविजयनगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर [illegible] 8 [illegible] के प.नं. 127 / 388 मु.नं. 13 के कि.नं. 16 व 24 [illegible] के पिता रामस्वरूप(मृतक) पुत्र छोगाराम के नाम से भूमि होना [illegible]. 16 के रकबे की दिशा को लेकर दोनों पक्षों में विवाद होने का कथन करते हुए ऑनलाईन नक्शे में तरमीम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया। रेस्पोंडेंट के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का 7 जीबी से रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं कि मौके पर कि.नं. 16 व 24 मध्य एक तिरछा खाला उत्तर–पूर्व से दक्षिण पश्चिम निर्मित हैं जिसके उत्तर में रामस्वरूप तथा दक्षिण में मेहर सिंह का कब्जा हैं। प्रार्थी तरमीम दुरूस्त करवा पूर्व पश्चिम करवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:26:42 IST
Reason: SelfAttested

चाहता हैं तथा अप्रार्थी रामस्वरूप ऑनलाईन नक्शा में कोई परिवर्तन नहीं चाहता। पटवारी रिपोर्ट में उभयपक्ष को सुना जाकर निर्णय किया जाना उचित होगा, अंकित हैं।

परन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए, तथा बिना अपीलांट को सूचित किए एकपक्षीय आदेश प्रत्यर्थी के पक्ष में दिनांक 05.10.2023 को पारित कर तरमीम संशोधन करने के आदेश पटवारी हल्का को जारी कर दिए। तहसीलदार श्रीविजयनगर का आलौच्य आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर का आलौच्य आदेश दिनांक 05.10.2023 निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी मेहर सिंह के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार आदेश पारित किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2023 को पारित आदेश रिकार्ड एवं मौका की पूर्ण जांच उपरान्त पटवारी हल्का के माध्यम से मौका स्थिति की जांच करवाते हुए आदेश पारित किया हैं जो कि सही हैं। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट हैं कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहता हैं। चूंकि पूर्व की ऑनलाईन नक्शा के पहले के लटठा में कि.नं. 16 व 24 के मध्य तरमीम नही होने के कारण दिशा स्पष्ट नहीं हैं। अतः आलौच्य आदेश विधि अनुसार नहीं होने के कारण अपील स्वीकार करने का कोई आधार नहीं हैं। अपील खारिज करने के लिए निवेदन किया।

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का मुख्य आधार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर द्वारा आलौच्य आदेश अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया हैं। पत्रावली पर उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया हैं कि तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा रेस्पोंडेंट के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलार्थी अथवा खातेदार रामस्वरूप के वारिसान.को बिना सुने कि.नं. 16 की तरमीम दुरूस्ती के आदेश पटवारी हल्का को जारी कर दिए। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित हैं। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे प्रत्यर्थी से आवेदन प्राप्त होने पर कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व कि.नं. 16 के खातेदार रामस्वरूप(मृतक) के वारिसान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर उभयपक्ष को सुनते हुए विधि अनुसार निर्णय पारित करते। अतः प्रकरण तहसीलदार श्रीविजयनगर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित हैं।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर का आलौच्य आदेश दिनांक 05.10.2023 निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार श्रीविजयनगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे कि.नं. 16 व 16/2 के खातेदारान/मृतक खातेदार के वारिसान) को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए विधिसम्मत पुनः निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:26:42 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)